

# “ कोरबा निगम फार यू ” एप में उपलब्ध है विभिन्न आवश्यक सामग्रियों की सूची

कोरबा 19 अप्रैल 2020 – नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा लाकडाउन के दौरान आमजन की सुविधा हेतु लॉच किए गए “ कोरबा निगम फार यू ” एप में सामग्रियों की सूची उपलब्ध है तथा राशन सामग्री के लगभग 200 से ज्यादा आइटम सूची में डाले गए हैं। इसके साथ ही एप में दवाईयों की भी सुविधा है तथा वैंडरों का रजिस्ट्रेशन अनलिमिटेड रखा गया है।

नोवल कोरोना वायरस से उत्पन्न इस आपदा घड़ी में लाकडाउन के दौरान आमजनता की सुविधा हेतु “ कोरबा निगम फार यू ” नगर पालिक निगम कोरबा के द्वारा उपलब्ध कराया गया जनता के लिए अत्यंत उपयोगी एप्लीकेशन है, जो छत्तीसगढ़ में किसी भी निगम प्रशासन द्वारा किया गया ऐसा पहला प्रयास है, जिसकी प्रतिक्रिया भी जनता के बीच बहुत अच्छी मिल रही है और एक ही दिन में कुल 1200 से ज्यादा लोगों द्वारा एप को डाउन लोड किया गया है। नगर पालिक निगम कोरबा ने आमजन से अपील करते हुए कहा है कि वे लाकडाउन के दौरान अपने घरों में रहे, सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे इसके लिए घरों के बाहर न जाएं। राशन, दवाई आदि के लिए निगम द्वारा लॉच किए गए उक्त एप्लीकेशन का उपयोग कर घर बैठे आर्डर करें, डिलीवरी ब्याय द्वारा आपको घर पहुंच सेवा दी जाएगी।

**200 से ज्यादा राशन सामग्री उपलब्ध—** निगम द्वारा लॉच किए गए “ कोरबा निगम फार यू ” एप्लीकेशन में वर्तमान में अलग-अलग वैंडर द्वारा अपनी क्षमता के अनुरूप अलग-अलग किराना सामानों को पंजीकृत किया गया है तथा लगभग 200 से ज्यादा अलग-अलग प्रोडक्ट एप में खरीदी हेतु उपलब्ध है, जिनके आर्डर आमजन द्वारा एप के माध्यम से दिए जा सकते हैं।

**वैंडरों का रजिस्ट्रेशन अनलिमिटेड है—** एप्लीकेशन में वैंडरों का रजिस्ट्रेशन अनलिमिटेड है, निगम के विभिन्न जोन हेतु अलग-अलग वैंडर रजिस्टर्ड है तथा इसके अतिरिक्त छुरी व कटघोरा के लिए भी वैंडर रजिस्टर्ड हैं, जिसे लोग सेटिंग आप्शन से अपना जोन शहर परिवर्तित कर देख सकते हैं व आर्डर कर सकते हैं, लोग जिस जोन में रहते हैं, उस जोन के वैंडरों को आर्डर कर सकते हैं। अन्य जिस भी वैंडर, दुकानदारों को एप्लीकेशन के माध्यम से अपना सामान बेचना है वो एप्लीकेशन डाउनलोड सेलर रजिस्ट्रेशन पर विलक करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जिसके पश्चात निगम द्वारा वैंडरों की क्षमता देख कर उन्हें सही पाने पर उनका अनुमोदन कर दिया जायेगा जिसके बाद वो वैंडर भी जनता को दिखेंगे और लोग उन्हें भी आर्डर दे सकेंगे।

**एप में दवाईयों की भी सुविधा—** एप में दवाईयों को आर्डर करने की सुविधा भी दी गई है, दवाईयों की खरीदी हेतु दवाई दुकानदारों को प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता होती है, बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाई देना वैधानिक नहीं होता, जिसके कारण निगम ने एप के माध्यम से दवाईयों की खरीदी हेतु ग्राहकों को डॉक्टर द्वारा दिए गए प्रिस्क्रिप्शन को अपलोड करना अनिवार्य किया है, प्रिस्क्रिप्शन में दिए गए दवाई अनुसार ही ग्राहकों को उनके आर्डर कन्फर्मेशन से संबंधित sms/call प्राप्त होगा, जिसके पश्चात दवाईयों की डिलीवरी की जाएगी।

**सब्जी हेतु पृथक व्यवस्था—** वर्तमान में फलों तथा सब्जियों के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा cghat.in वेबसाइट लांच किया गया है, जिसके माध्यम से लोग फल तथा सब्जियां ऑनलाइन खरीद सकते हैं।

**500 रुपये की खरीदी आवश्यक ताकि एक साथ अधिक सामग्री पहुंच जाएं—** मूलतः इस एप को लांच करने की सबसे बड़ी सोच यही है कि लोग घर बैठे ही ऑर्डर कर सके व उन्हें अपने घर पर ही ऑर्डर प्राप्त हो सके तथा लोग अपने घरों से बाहर न निकले। इस एप के माध्यम से सामान खरीदने हेतु कम से कम 500 रुपये का आर्डर करना अनिवार्य किया गया है ताकि लोगों के द्वारा सप्ताह भर के आवश्यक सामग्रियों का आर्डर एक बार में ही किया जा सके व कम से कम डिलीवरी ब्याय के माध्यम से एक ही बार में ही डिलीवरी दी जा सके। इस प्रकार से डिलीवरी ब्याय भी बार बार आर्डर डिलीवर करने से बचेंगे जिससे सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहेगी।